विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022
संख्या-8/2022/108/तीस-4-2022-8(11)/2009 टीसी

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी, 2022

विषय: विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 को सम्पन्न कराने के लिए हल्के वाहनों की आवश्यकता हेतु संयुक्त मण्डलीय पूल की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव के अर्द्धशा0पत्र संख्या-21/61-2022, दिनांक 11.01.2022, जो समस्त मण्डलायुक्त को संबोधित एवं शासन व परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि संदर्भित पत्र में मुख्य सचिव महोदय द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 को सम्पन्न कराने के लिए विभिन्न जिलों में मतदान हेतु हल्के वाहनों की अत्यधिक संख्या में आवश्यकता पड़ने तथा तदनुरूप वाहनों की उपलब्धता न हो पाने को दृष्टिगत रखते हुए मण्डल स्तर पर हल्के वाहनों का एक पूल बनाये जाने का निर्देश दिया गया है ताकि मण्डल के अन्तर्गत ही सम्बन्धित सभी जनपदों में वाहनों का पारस्परिक समायोजन किया जा सके तथा किसी मण्डल में वाहनों की उपलब्ध संख्या यथावश्यकता पर्याप्त न होने पर समीपवर्ती/पड़ोसी मण्डल से वाहनों की उपलब्धता करायी जा सके। किसी मण्डल और उसके समीपवर्ती/पड़ोसी मण्डल से भी यथावश्यकता वाहनों की व्यवस्था कर पाना असम्भव होने पर अपरिहार्य स्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी को न्यूनतम आवश्यकता हेतु निजी वाहन अधिग्रहीत करने की अनुमति दिये जाने का भी निर्देश दिया गया है।

3- उक्त निर्देशानुपालन में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए निम्नवत् कार्यवाही/आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

(1) एतद्द्वारा संलग्न तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित मण्डलों में वाहनों की कमी की पूर्ति स्तम्भ-5 में अंकित मण्डलों से की जाय।

(2) मण्डलायुक्त कृपया हल्के वाहनों की अपने मण्डल की आवश्यकता की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करेंगें कि जिन मण्डलों में हल्के वाहनों की कमी है, उसे तालिका में दर्शाये गये मण्डल/मण्डलों से तत्काल सम्पर्क करके वाहनों की आपूर्ति सुनिश्चित कर लेंगें तथा जनपदवार की गयी उक्त व्यवस्था से तुरन्त जिलाधिकारियों को भी अवगत करायेंगें।

(3) यदि ग्रुप में दर्शाये गये मण्डलों से भी आवश्यकता के अनुरूप हल्के वाहनों की व्यवस्था कर पाना सम्भव नहीं होता है तो ऐसी अपरिहार्य स्थिति में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हेतु निजी वाहनें अधिग्रहीत की जा सकेंगीं। यह भी स्पष्ट करना है कि यदि संलग्नक में दिये गये चिन्हित मण्डल/मण्डलों से वाहनों को मंगाना मितव्ययी न हो तो स्थानीय स्तर से प्राइवेट वाहनों को अधिग्रहीत कर कार्यवाही की जाय। इस प्रकार हल्के वाहनों को निर्वाचन में प्रयोग करने पर मितव्ययिता का ध्यान रखा जाय।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-8/2022/108(1)/तीस-4-2022-363/93टीसी तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को उनके अर्द्धशा0पत्र संख्या-21/61-2022, दिनांक 11.01.2022 के संदर्भ में।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-8/2022/108(1)/तीस-4-2022-363/93टीसी दिनांक 17 जनवरी, 2022 का संलग्नक।

तालिका

क्र0 सं0	चरण का दिनांक	मण्डल का नाम जहाँ निर्वाचन निर्धारित है	विधान सभा क्षेत्र जहाँ निर्वाचन होना है	मण्डल जहाँ से सम्पूर्ति होनी है।
1	2	3	4	5
1	प्रथम चरण 10.02.2022	मेरठ	मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौजमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, हापुड,	मेरठ/कानपुर
		सहारनपुर	मुजफ्फरनगर, शामली	सहारनपुर
		आगरा	आगरा, मथुरा	आगरा/झाँसी
		अलीगढ	अलीगढ	अलीगढ़
2	द्वितीय चरण 14.02.2022	मुरादाबाद	मुरादाबाद, अमरोहा, बिनजौर, रामपुर, सम्भल	मुरादाबाद/लखनऊ
		बरेली	बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर	बरेली
		सहारनपुर	सहारनपुर	सहारनपुर
3	तृतीय चरण 20.02.2022	अलीगढ	एटा, हाथरस, कासगंज	अलीगढ़/मेरठ
		आगरा	फिरोजाबाद, मैनपुरी	आगरा/मेरठ
		कानपुर	कानपुर नगर, कानपुर-देहात, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया	कानपुर/मेरठ
		झाँसी	झाँसी, जालौन, ललितपुर	झाँसी/प्रयागराज
		चित्रकूट-धाम	हमीरपुर व महोबा	चित्रकूट-धाम/प्रयागराज
4	चतुर्थ चरण 23.02.2022	लखनऊ	लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, खीरी, हरदोई	लखनऊ/बरेली/मुरादाबाद
		बरेली	पीलीभीत	बरेली
		प्रयागराज	फतेहपुर	प्रयागराज
		चित्रकूट-धाम	बांदा	चित्रकूट-धाम
5	पंचम चरण 27.02.2022	देवीपाटन	गोण्डा, बहराईच, श्रावस्ती,	देवी-पाटन/बरेली
		अयोध्या	अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी	अयोध्या/कानपुर
		प्रयागराज	प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ	प्रयागराज/झांसी/मीरजापुर
		चित्रकूट-धाम	चित्रकूट	चित्रकूट-धाम
6	छठा चरण 03.03.2022	बस्ती	बस्ती, सन्तकबीरनगर, सिद्धार्थनगर	अयोध्या/बस्ती/देवी-पाटन, आजमगढ़
		अयोध्या	अम्बेडकरनगर	अयोध्या
		देवीपाटन	बलरामपुर	देवी-पाटन
		गोरखपुर	गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर	गोरखपुर/लखनऊ
		आजमगढ	बलिया	आजमगढ़
7	सातवाँ चरण 07.03.2022	वाराणसी	वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर	वाराणसी/प्रयागराज
		मीरजापुर	मीरजापुर, संतरविदासनगर, सोनभद्र	मीरजापुर/चित्रकूट-धाम
		आजमगढ	आजमगढ, मऊ	आजमगढ़/बस्ती/गोरखपुर

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।